

संख्या : 12019/86/2014-रा.भा.(का0-2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन


विषय : मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए का.ज्ञा. संख्या 12024/1/87-रा.भा.(ख-2) दिनांक 21-01-88 के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से कराने के लिए समुचित निदेश दिए गए थे । राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि इन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपेक्षित एवं प्रभावशाली चर्चा नहीं हो पा रही है ।

2. उपरोक्त स्थिति के संबंध में राजभाषा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया जाए कि वे उक्त बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा अवश्य करें :-

- (i) धारा(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करना
- (ii) हिंदी में पत्राचार की स्थिति
- (iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना ।
- (iv) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण देना ।
- (v) हिंदी(भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण
- (vi) वेबसाइट पूरी तरह से द्विभाषी बनाना और अद्यतित रखना ।
- (vii) विभागीय आई.टी. सिस्टमों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित कराना ।
- (viii) कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना ।
- (ix) सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा(यूनिकोड में) उपलब्ध कराना ।
- (x) राजभाषाई निरीक्षणों की स्थिति ।
- (xi) अनुभागों को अपना पूरा काम हिंदी में करने के लिए अधिसूचित करना ।
- (xii) मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्य विशेष मुद्दे ।

3. राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि मंत्रालय/विभाग समिति की हुई बैठक की तिथि, कार्यवृत्त तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर टिप्पण अपलोड कर सकते हैं और आगामी बैठक की प्रस्तावित तिथि भी भर सकते हैं ।


(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि प्रेषित

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिचालित कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि वे उपर्युक्त मद 03 पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।